बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या :15/FSC/32/2024–................../स्वा० पटना, दिनांक – ....

बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के खाद्य विश्लेषक संवर्ग अंतर्गत संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना में खाद्य विश्लेषक के पद पर पदस्थापित/कार्यरत पदाधिकारियों को वार्षिक वेतन–वृद्धि की अनुमान्यता एवं वार्षिक वेतन लाभ प्रदान करने हेतु हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक–240(15), दिनांक–20.02.2025 द्वारा एक पत्र निर्गत है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ''*नियमानुसार प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन–वृद्धि, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता के बाद देय है। इसके लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता/अनुतीर्णत्ता का कोई संबंध नहीं है।*''

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) के आदेश ज्ञापांक–602/रा०, दिनांक–30.07.2025 द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा/हिन्दी लिखने–पढने की योग्यता परीक्षा से संबंधित परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है। उक्त परीक्षाफल में सुश्री श्वेता मिश्रा, खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

3. उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सुश्री श्वेता मिश्रा, खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना को विभागीय आदेश ज्ञापांक–30(15B), दिनांक–25.08.2025 द्वारा द्वितीय/नियमित वार्षिक वेतन–वृद्धि का लाभ अनुमान्य कराया गया है।

4. उक्त विभागीय आदेश की पुनर्समीक्षा करने तथा विभागीय पत्रांक–240(15), दिनांक–20.02.2025 के आलोक में खाद्य विश्लेषकों के मामले में नियमित वार्षिक वेतन–वृद्धि की अनुमान्यता हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं कोषागार प्रशिक्षण की अनिवार्यता के विषय पर विभागीय परामर्श उपलब्ध कराने हेतु वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2003(25), दिनांक–18.09.2025 द्वारा स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है।

5. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के उक्त पत्र के आलोक में खाद्य विश्लेषकों के नियमित वेतन–वृद्धि के अनुमान्यता हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं कोषागार प्रशिक्षण की अनिवार्यता के विषय पर मार्गदर्शन/परामर्श प्रदान करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया। तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श निम्नवत् है:–

बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियमों में वेतन–वृद्धि के विनियमन के संदर्भ में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। प्रासंगिक नियमावली के नियम–9 में विभागीय परीक्षा का प्रावधान किया गया है एवं नियम–10 में सेवा सम्पुष्टि हेतु अन्य शर्तों के साथ विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त भी विहित है। स्पष्टतः वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा उल्लिखित बिन्दु सेवा सम्पुष्टि के लिए निर्धारित अर्हताओं से संबंधित हैं,

वेतन–वृद्धि की अनुमान्यता/स्वीकृति से संबंधित नहीं है। किसी सेवा/संवर्ग में ऐसी शर्ते प्रासंगिक सेवा/संवर्ग नियमावली में ही निहित होती है, परन्तु प्रासंगिक नियमावली में ऐसी कोई शर्त नहीं है। अतः बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमवली, 1968 के प्रावधानों के तहत हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने की तिथि से वेतन–वृद्धि स्वीकृति किये जाने में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–30(15B), दिनांक–20.02.2025 की पुनर्समीक्षा विभाग स्तर से की गयी। समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगोचर हुआ कि सुश्री श्वेता मिश्रा को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा की उत्तीर्णता की तिथि से द्वितीय वेतन–वृद्धि का लाभ अनुमान्य कराने हेतु विभाग स्तर से आदेश निर्गत है, परन्तु उनके मूल पदस्थापन वाले कार्यालय द्वारा उन्हें जनवरी, 2025 के प्रभाव से द्वितीय वेतन–वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए अनुमान्य राशि का भुगतान किया गया है। जबकि बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 के कंडिका–8 में यह उल्लेख किया गया है कि ***वेतन–वृद्धि की रोक संचयात्मक प्रभाव नहीं होगा। संबद्ध सरकारी सेवक अपेक्षित परीक्षा या परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, जिस अंतिम परीक्षा में वह सम्मिलित और उत्तीर्ण हुआ हो उस परीक्षा की तारीख के बाद पड़नेवाली तारीख से कालमान के उस प्रथम तारीख से वेतन पायेगा जिसका वह हकदार होगा, यदि इस नियमावली के नियम 7 के अधीन उसका वेतन–वृद्धि रोक दी गयी नहीं होती, रोकी हुई वेतनवृद्धि के बकाये भुगतान नहीं दिया जाएगा।***

7. अतएव सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उक्त परामर्श तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप परीक्षा नियमावली, 1968 के कंडिका–08 में विहित प्रावधान को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत सुश्री श्वेता मिश्रा, खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना को ***दिनांक–01 अगस्त, 2025*** के प्रभाव से द्वितीय/नियमित वेतन–वृद्धि का लाभ अनुमान्य कराया जाता है। साथ ही 01 अगस्त, 2025 से पूर्व अर्थात् दिनांक–01 जनवरी, 2025 से 31 जुलाई, 2025 तक द्वितीय/नियमित वेतन–वृद्धि के अन्तर्गत सुश्री मिश्रा को किये गये भुगतान के अंतर राशि के कटौती के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8. प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 को निदेशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि से संबंधित अंतर राशि की कटौती सुश्री मिश्रा के वेतन से करते हुए विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. पूर्व में सुश्री श्वेता मिश्रा के द्वितीय/नियमित वार्षिक वेतन–वृद्धि हेतु निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–30(15B), दिनांक–25.08.2025 को इस हद तक अवक्रमित किया जाता है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(कृष्णा उरॉव)
सरकार के उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 56(15B) पटना, दिनांक :– 16/03/ 2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य–सह–खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सुश्री श्वेता मिश्रा, खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/03/2026

सरकार के उप सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।